को प्राप्त है।

पृ.सं. 22/2023
2023/74

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित है। तहसीलदार रामपुर द्वारा बटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट तैयार कर विचारार्थ प्रेषित की गई 2510, 2511, 2519, 2520 तथा 2521 मौके पर वादी गणों ने बताया कि इन आराजियात में हमारा संयुक्त हिस्सा है हम वादीगण हिस्सा नहीं करवाने के बाद ही विभाजन करवाना चाहते हैं। वादीगण वकील के माध्यम से अवलोकन करवाया गया पुत्र वाद पेश करके संपत्ति सुरक्षित रखते हुए हिस्सा नहीं करवाने के बाद ही बटवारा करवायेंगे। वादीगणों द्वारा बटवारा नहीं चाहने से एवं हिस्सा नहीं होने पर पुत्र वाद पत्र नया पेश करने के सुरक्षित रखते हुए प्रकरण स्थगित किया जाता है। पत्रावली पीठासीन अधिकारी समक्ष प्रस्तुत हो।

सहायक कलक्टर
(सदर) रामपुर